

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-प्र0-01-ल0ख0(विविध)-01/17-...../एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

E-mail/Web

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता

विषय:- साधारण मिट्टी के अनुज्ञा पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 7655 दिनांक 22.12.17

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा साधारण मिट्टी के व्यवसायिक उपयोग हेतु भेजे गए मार्गदर्शन के क्रियान्वयन के क्रम में उत्पन्न कठिनाईयों को देखते हुए निर्गत सामान्य शर्तों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

- (i) बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम-27 (सहपठित नियम-28 एवं 29) के प्रावधानों के तहत सभी इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर साधारण मिट्टी का व्यवसाय करेंगे। इस क्रम में उन्हें पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (ii) साधारण मिट्टी पर स्वामिस्व की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु परिवहन के क्रम में मिट्टी लदे वाहनों को जाँच न कर उपयोग स्थल पर जाँच से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-.....1843...../एम0, पटना, दिनांक-.....16.4.18.....

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उदय  
16/4/18

16/4/18  
सरकार के अवर सचिव